(ख) यदि हां, तो बड़ी लाइनों के मार्गों पर चलाने हेतु भविष्य में कितनी यात्री बोगियों की आवश्यकता पड़ेगी;

(ग) यह आवश्यकता किस तरह से पूरी की जाएगी;

(घ) क्या सरकार मीटर लाइन की बोगियां बनाने वाले विद्यमान उपक्रमों को बड़ी लाइन की बोगियां बनाने के लिये सक्षम बनाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी लाइन के सवारी डिब्बे निर्मित करने की क्षमता पर्याप्त है। अतः मैसर्स जेस्सप्स, जो मी०ला० के सवारी डिब्बे और ब०ला० के ई०एम०यू० का निर्माण कर रहा है, को रेलों के लिए बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अहमदाबाद और दिल्ली के बीच यातायात का सर्वेक्षण

3001. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पहले अहमदाबाद और दिल्ली के बीच बड़ोदरा-गोधरा-रतलाम-कोटा के मार्ग से होकर यातायात सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस लाइन पर एक नई रेलगाड़ी चलाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को कब से चलाया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ़): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परिचालनिक कठिनाइयां तथा संसाधनों की तंगी।

सूरत में भूमि का अधिग्रहण

3002. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेल प्रशासन ने गुजरात में सूरत नगर के वराच्छा रोड पर रहने वाले लोगों को रेल की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु सूरत नगरपालिका को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की है; क्या सूरत के जिलाधीश और सूरत नगरपालिका के आयुक्त ने रेलवे प्रशासन को यह भूमि सौंपने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है;

(ग) अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित इस भूमि पर कौन-कौन सी नई सुविधाएं दी जाएंगी; इस पर कितनी लागत आएगी; और

(घ) उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़): (क) जी हां।

(ख) से (घ) सूरत नगर निगम को इस भूमि पर परिचलन क्षेत्र और पार्किंग सुविधाओं का विकास करना है। राज्य सरकार ने भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। चूंकि सूरत नगर निगम द्वारा स्वयं परिचलन क्षेत्र और पार्किंग स्थल का विकास किया जाना है इसलिए रेलवे द्वारा भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना है।

Providing Facilities at Jalandhar Railway Station

3003. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that facilities provided at Jalandhar Railway Station are in consistent with tremendous increase in population of the Jalandhar District since partition;

(b) if so, what steps are being taken to increase the facilities in terms of population of the district;

(c) the details thereof; and if not, the reasons therefor;

(d) whether the outlet and in-let to the Jalandhar Station are the same whereas the roads have been widened to large extent; and

(e) by when the outlet/in-let will be widened to cope with the ever increasing flow of passengers and their vehicles?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) to (c) No, Sir. Augmentation of facilities has been undertaken as and when warranted by the growth in volume of passenger traffic handled. The existing amenities are commensurate with volume of passenger traffic handled and considered adequate for the present.

(d) and (e) Due to the constraint of space caused by the built up area of the city, it is not possible to widen the entrance and the exit to the station, at present.

Widening of Railway Crossings

3004. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the roads approaching railway crossings have been widened and are being widened;

(b) if so, whether it is also a fact that the Railway Crossings are not being widened accordingly;

(c) whether there is a programme for over-head bridges over the railway crossings to avoid accidents and to enable easy flow of traffic; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) Management of road traffic and complying with the requirements of road traffic are the domain of State Govt./ Road Authority. As per extant rules, the capital cost of improvement or alterations in an existing level crossing whether necessitated by local conditions or any other cause, is to be borne by State Govt. or local authority. Railway improves the level crossings on demand and funding of work by State Govt. Railway do not have information about State Govt.'s programme of improvement to roads.

(c) and (d) The system of replacing a busy level crossing by a Road Over/ Under bridge is that the State Governments propose the works giving priorities. The Railways then examine the cases and include such of them in the Works Programme for which the various pre-requisite formalities have been completed by the State Governments. The Railways while including the works in the Works Programme also take into account the quantum of existing sanctioned works for that particular State and the pace at which these works are being executed by the State Government.

पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन की कमी

3005. श्री महेश्वर सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम आदि और पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं परन्तु वहां यातायात के साधन बहुत सीमित हैं;

(ख) रेलवे सुविधा विस्तार परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अनुमोदन हेतु सरकार को भेजी गई हैं?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़): (क) जी, हां। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ पहाड़ी क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

(ख) इन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में फिलहाल कोई परियोजना निर्माणाधीन नहीं है।

(ग) सरकार के अनुमोदन के लिए फिलहाल कोई परियोजना लम्बित नहीं है।